न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 12/2024

जी.सी.एम.एस. नं.: 2024/144

1. भतेरी देवी पत्नी देशराज जाति धानक निवारी 4 जेएसडी जैतसर तहसील श्रीविजयनगर

—: प्रार्थी

बनाम

1. अर्जुनराम पुत्र अनीराम जाति मेघवाल निवारी 32 एमएल तहसील रायसिंहनगर
2. जोनी पुत्र रामचन्द जाति धानक निवारी 4 जेएसडी तहसील श्रीविजयनगर
3. प्यारेलाल पुत्र हरीराम जाति धानक निवारी वार्ड नं. 14 धानक मोहल्ला जैतसर तहसील श्रीविजयनगर
4. प्रदीप कुमार पुत्र रामचन्द जाति धानक निवासी सरकारी अस्पताल के पास जैतसर तहसील श्रीविजयनगर
5. सन्तराम पुत्र हरीराम जाति धानक निवासी वार्ड नं. 14 जैतसर हाल डासनागेट चौपाला मन्दिर गाजियाबाद
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर —: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. **श्री बक्शीश सिंह थिन्द, प्रेम सिंह सैनी, अधिवक्ता प्रार्थी**
2. **श्री शेराराम, अप्रार्थीगण सं. 2–4–5**
3. **श्री सिमरत सिंह गिल, अप्रार्थी सं. 3**
4. **अनुपस्थित, अप्रार्थी सं. 1**
5. **राजपैरोकार**

—:: निर्णय ::— दिनांक : 21/7/25

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :–

1. प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि चक 4 जेएसडी मु.नं. 136 प.नं. 127/372 कि.नं. 7/4 का 0.126है. व कि.नं. 7/2 का 0.0200है. अ.क. में आवागमन एवं कृषि औजार लाने ले जाने के लिए पूर्व से चले आ रहे रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि चक 4 जेएसडी मु.नं. 136 प.नं. 127/372 का कि.नं. 6/2 व 7/3 का क्रमशः 0.0300है. अ.क. भूमि को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 स्वंय उपस्थित होकर सहमति पत्र प्रस्तुत कर कि.नं. 6/2, 7/3 का क्रमशः 0.030है. अनकमाण्ड भूमि को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत किये जाने पर सहमति प्रकट की है। साथ ही सहमति पत्र में अंकित किया है कि चक 4 जेएसडी प.नं. 127/372 मु.नं. 136 कि.नं. 6/2, 7/3, 8/4, 9/3, 10/4 प्रत्येक में 0.030है कुल 0.150है. खातेदारी अनकमाण्ड रकता शुरू से ही रास्ता आम के लिए छोड़ा हुआ है। अप्रार्थी सं. 3 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया है। अप्रार्थी सं. 3 के द्वारा शपथ पत्र सहमति प्रस्तुत कर चक 4 जेएसडी प.नं. 127/372 मु.नं. 136 कि. नं. 6/2, 7/3 के क्रमशः 0.030है. अनकमाण्ड में रास्ता निःशुल्क/बिना किसी प्रतिफल के स्वीकृत किये जाने पर अपनी सहमति प्रकट की है।
3. अप्रार्थी सं. 2, 4 व 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कि.नं. 6 व 7, 8 की हद तक कोई रास्ता नहीं चल रहा है। ना ही मौका पर कोई रास्ता है। प्रार्थी द्वारा मनगढत कथन प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है। चक 4 जेएसडी मु.नं. 136 प.नं. 127/372 कि.नं. 6/2, व 7/3 भूमि आबादी भूमि है। उक्त भूमि में लोग मकान बनाकर निवास कर रहे है। कृषि भूमि नहीं है। इसलिए धारा 251 आरटी एक्ट लागू नहीं होता है। तथा कि.नं. 6 व 7 की भूमि में वर्तमान में किसी प्रकार का रास्ता नहीं है। प्रार्थीया उक्त भूमि पर काश्त नहीं कर रही है। तथा भूमि पर प्लॉट काटे गये है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:16:56 IST
Reason: SelfAttested

4. स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। तहसीलदार श्रीविजयनगर से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गयी। बहस वकील पक्षकारान सुनी गयी। वकील प्रार्थी अपनी बहस में निवेदन किया कि कि.नं. 6 के चिपती जैतसर पदमपुर मुख्य सड़क से कि.नं. 6 व 7 में कि.नं. 8 की हद तक रास्ता काफी अर्सा से चला आ रहा है। प्रार्थीया के नाम की भूमि व कि.नं. 8 की भूमि पूर्व में अप्रार्थीगण के नाम से ही थी एवं अप्रार्थीगण/पूर्वजों के द्वारा ही उक्त भूमि को विक्रय किया गया एवं प्रार्थीया के नाम दर्ज हुई। विक्रय के समय ही कि.नं. 6 व 7 में रास्ता छोड़ा गया था। अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थना पात्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2,4,5 अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण की भूमि में से कोई रास्ता कभी चालू नहीं रहा है न ही प्रार्थीया द्वारा कभी आवागमन किया गया है। बल्कि भूमि पर आबादी बसी हुई है और मकान बने हुए है, कृषि कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए धारा 251ए राज.काश्त.अधि. के प्रावधान लागू नहीं होते है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

5. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में रिपोर्ट भू.अ.नि. प्राप्त हुई। अद्योहस्ताक्षरकर्ता/स्वयं द्वारा भी मौका निरीक्षण किया गया। मुताबिक रिपोर्ट भू.अ.नि. कि.नं. 6/2, 7/3, 8/4, 9/3 में मौका पर रास्ता चल रहा है। रास्ता मंजूरशुदा नहीं है। भतेरी देवी को अन्य कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया है कि कि.नं. 6/2 व 7/3 पर कृषि नहीं हो रही है आबादी है। जबकि रिपोर्ट भूअनि अनुसार मौका पर रास्ता चल रहा है। अप्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 3 द्वारा स्टाम्प पत्र पर लिख कर सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र में अंकित किया गया है कि.नं. 6/2, 7/3, 8/4, 9/3, 10/4 प्रत्येक में 0.030है. कुल 0.150है. रकबा शुरू से ही रास्ता आम के लिए छोड़ा हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज छायाप्रति बैयनामा, ईकरारनामा का अवलोकन किया। जिसमें रास्ता छोड़ा जाना अंकित है।

6. न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि प्रार्थी द्वारा की जा रही रास्ते की मांग उचित है। वैकल्पिक मार्ग का अभाव है तथा चाहा गया रास्ता निकटतम मार्ग है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 द्वारा सहमति पत्र प्रस्तुत कर पहले से रास्ता छोड़ा जाना अंकित किया है तथा अप्रार्थी सं. 3 द्वारा बिना प्रतिफल के रास्ता स्वीकृत करने पर सहमति पत्र प्रस्तुत किया है।

—: आदेश :—

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज.काश्त.अधि. स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 1 से 5 की भूमि चक 4 जेएसडी मु.नं. 136 प.नं. 127/372 का कि.नं. 6/2 व 7/3 प्रत्येक में 0.0300है. गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता है। अप्रार्थी सं. 1 व 3 को रास्ता स्वीकृति के एवज में प्रतिफल देय नहीं होगा। प्रार्थी रास्ते में आई भूमि की एवज में अप्रार्थी सं. 2, 4 व 5 को रास्ते में आई उनकी भूमि की डीएलसी दर की दो गुणा राशि अदा करेगा। तहसीलदार श्रीविजयनगर अप्रार्थी सं. 2, 4 व 5 के हि[illegible] में आई भूमि पर प्रतिकर की गणना कर प्रार्थी से नियमानुसार राशि जमा क[illegible]तशुदा गै.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरा[illegible] सं. 2, 4 व 5 को जमाशुदा प्रतिकर राशि का उनके अंश अनुसार [illegible] की प्रति तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक [illegible] को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:06:56 IST
Reason: SelfAttested